न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–49/2025

दसई पासवान वगैरह – आवेदकगण
बनाम्
अशोक कुमार मिश्र वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

07.03.2026

आवेदकगण की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–49/2025 मूल स्वत्व वाद सं0–447/2022 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–447/2022 जो दिनांक–24.07.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदकगण/प्रार्थीगण द्वारा विविध वाद संख्या–49/2025 दाखिल किया गया है। मुकदमा ग्रहण के बिन्दु पर चल रहा था। एक नंबरी मुकदमा सं0–447 खिलाफ मुदालेहम सं0–1 ता 6 के खिलाफ इस अनुतोष के लिए दाखिल किया था कि यह डिक्लेयर किया जाए कि सैयमुदावहा की एराजी मुदईयान की मौरूसी एराजी का भाग है वो इसका नया नक्शा वो खतियान मोरिस मुदालेह फरीक औवल गलत बना है। नंबरी मुकदमा 447 सन् 2022 में स्थानीय जांच के लिए अधिवक्ता आयुक्त की बहाली हुयी थी जिसमें अधिवक्ता आयुक्त का फीस वो रीट जारी करने के लिए अपेक्षिकाएं दाखिल करना था। मुदईयान गरीब एवं मजदुर आदमी है, मजदुरी करने बाहर चला गया था पैसे के अभाव वो बाहर मजदुरी करने चले जाने के वजह से न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के वजह से नंबरी मुकदमा 447 सन् 2022 दिनांक–24.07.2025 को खारिज हो गया है। मुकदमा खारिज होने से आवेदकगण को काफी क्षति होने संभावना है। मुकदमा को पुनर्जीवित करने हेतु प्रार्थी अन्डर टेक करता है कि भविष्य में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। वाद के सुनवाई में प्रार्थीगण हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में प्रार्थीगण किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे। अतः निवेदन है कि आवेदकगण का मूल नंबरी वाद संख्या–447 सन् 2022 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–49/2025 मूल स्वत्व वाद संख्या–447/2022 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदकगण के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–24.07.2025 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदकगण ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदकगण को जानकारी नहीं थी। पुनः आवेदकगण के द्वारा कहा गया कि आवेदकगण मजदुरी करने बाहर चला गया था तथा वाद दिनांक–24.07.2025 को खारिज हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह समुचित कारण प्रतीत होता है कि वाद खारिज होने का कारण आवेदक के द्वारा उत्पन्न नहीं था। चूंकि वाद खारिज होने के लिए जो भी परिस्थितियां थी वह आवेदकगण के द्वारा जन्य न होकर परिस्थितिजन्य प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए तथा मूल स्वत्व वाद 447 सन् 2022 में उपस्थित पक्षकारों के मध्य विवादित बिन्दुओं के संपूर्ण निस्तारण हेतु एक मौका आवेदकगण को देना न्यायोचित प्रतीत होता है। पुनः वादीगण के द्वारा समय–सीमा के अवधि के बाद आवेदन दाखिल करने के कारण को भी तर्कसंगत तथ्य के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–49/2025 को न्यायहित में 5000/– रूपये के खर्चे के साथ मूल वाद संख्या 447/2022 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय